पृष्ठ सं०-.... आदेश की क्रम आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर सं० एवं तारीख न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डु (राँची)। U/S 15 OF THE BIHAR TENANT'S HOLDINGS (MAINTENANCE OF RECORDS) ACT, 1973 दाखिल खारिज अपील वाद संख्या-16/2017-18 1. किरण देवी, पति–श्री कमलाकान्त मिश्रा, निवास ग्राम–कुम्हार टोली, 1. अंचल पदाधिकारी, बुण्डू (झारखण्ड सरकार)विपक्षी। आदेश 23.02.2021 प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी ने अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–465 R27/2015-2016/बुण्डू में दिनांक–18.05.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्नलिखित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया। भूमि विवरणी मौजा थाना थाना सं० खाता सं० खेसरा सं० रकवा ब्ण्डू बुण्डु 1107 0.021/4 Vo चौहदी:-उ०-प्रस्तावित रास्ता ०५ फीट, द०-शिवलाल महतो, पू०-तारी देवी, प०-नीलम देवी। अपीलार्थी की ओर से दायर अपील आवेदन पर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। वाद में अपीलार्थी लगातार अनुपरिथत है। अभिलेखबद्ध निम्न न्यायालय के नामांतरण मुकदमा सं०–465 R27/2015-2016/बुण्डू का ऑनलाईन जनित अस्वीकृति की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। जिसमें राजस्व कर्मचारी के मंतव्यानुसार आवेदित भूमि आदिवासी खाता से संबंधित है संलग्न कागजात सादा हुकुमनामा है। इसी आधार पर अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण अस्वीकृत किया गया है। उपसमाहर्त्ता, विधि शाखा, राँची के ज्ञापांक-217(ii) दिनांक-31/01/2012 के द्वारा प्राप्त माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के W.P.(PIL) No.-758/2011 सालखन मुर्मू बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक—25 / 01 / 2012 को पारित आदेश की प्रति जिसमें मुख्य न्यायाधीश प्रकाश टाटिया एवं न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह के द्वारा C.N.T. Act का सख्ती से अनुपालन करने का निदेश दिया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं निर्देशों के आलोक में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि कथित भूमि आदिवासी खाते की भूमि है जो C.N.T. Act से आच्छादित है। अतः उपरोक्त अपील वाद को अस्वीकृत किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डु(राँची)।

बुण्डू(राँची)।

आदेश पर की गयी

टिप्पणी तारीख सहित